राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

(53)

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015
ईमेलः raj.minocell@gmail.com
वेबसाईटः www.minority.rajasthan.gov.in
फोन : 0141–2711773

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृति योजना (2019–20)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सारकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध पारसी) हेतु संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृति योजनाओं के तहत राज्य को **आंवटित लक्ष्यों** के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारो के मेधावी छात्र–छात्राओ को छात्रवृतियां प्रदान कर वितीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि समुदाय को उच्च शिक्षा में अच्छे अवसर प्रदान कर गुणवत्ता को बढाया जा सकें।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजनाः– यह कक्षा 11 और 12 स्तर के औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठयक्रमों को भी कवर करेगी (XIth and XIIth, BA, BCom, B.Sc, MA, M.Com, M.Sc, B.Ed, M.Ed, BSTC GNM, ANM, All One Year Diploma Courses, BCA, Polytechnic, ITI) |

पात्रताः–

1. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. गत शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
4. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण. संस्थाओं में विधिवत कोर्सो में नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।

मेरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनाः– व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा (Professional/Technical Education) के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठयक्रमों हेतु (B.E/M.E, B.Tech, M.Tech, MBBS, MD/MS, BDS, MDS, BHMS, MBA, MCA, CA/CS, ICWA, B.Sc/M.Sc Nursing, BVSC, LLB/LLM, BUMS, BAMS) |

पात्रताः–

1. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. गत शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
4. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में विधिवत कोर्सो में नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।

मंत्रालय स्तर से छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन की निर्धारित तिथियों का विवरण निम्नुनसार हैः–

SCHEME NAME	ACTIVITIES	DATES
POST MATRIC SCHOLARSHIP & MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP	Opening of Portal for submission of Post Matric Scholarship Application	15th July 2019
	Last date of online submission of Post Matric Scholarship Application	31ST October 2019
	Last Date for first level Verification (Institute level Verification)	15th Novemeber 2019
	Last date for second level Verification (District level Verification)	30th November 2019

आनलाईन फार्म भरते समय विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

1. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल वेबसाइट www. scholarships.gov.in या मोबाईल ऐप– **National Scholarship(NSP)** पर छात्रवृति योजनाओं मे से किसी एक योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करें।
2. आनलाईन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल वेबसाइट www.scholarships.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध है।
3. छात्र–छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन को पूर्ण करने के पश्चात् Final Submit किया जाना आवश्यक है, तत्पश्चात Editing नहीं की जा सकती, अन्यथा गलत सूचना/ अपूर्ण फार्म होने पर सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
4. ऑनलाईन आवेदन के समय विधार्थी अपने संस्थान, कोर्स, योजना का नाम, वर्ष आदि का सावधानी से चयन करें।

(54)

5. आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दे जो सक्रिया मोड (चालू)में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृति का भुगतान विफल न हो।
6. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन Final Submit किये जाने के पश्चात प्रिन्ट लेकर वांछित दस्तावेज सहित संबंधित शिक्षण संस्था प्रधान को जमा करवा सकते हैं एवं सुविधा के लिए एक प्रति स्वयं रखे।
7. जिला स्तर पर किसी भी प्रकार से ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे ।
8. जिन विद्यार्थियों को पूर्व में छात्रवृति राशि प्राप्त हो गई है, उन्हें नवीनीकरण में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, योजनान्तर्गत <u>नवीन/नवीनीकरण</u> का सही चयन नही किये जाने सम्पूर्ण प्रकार की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
9. अन्य राज्यों के विद्यार्थी, जो राजस्थान में अध्ययनरत है, उन विद्यार्थी का ऑनलाईन आवेदन का स्क्रूटनी कार्य संबंधित शिक्षण संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित राज्य (आवेदक के गृह राज्य) के नोडल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा।

<u>शैक्षणिक संस्थाओं के लिये अपील</u>

1. सभी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्था/महाविद्यालय/विद्यालय स्वयं पंजीयन करे और संचालित कोर्स की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इंद्राज करें, जिससे संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकेगे तथा आवेदन पत्र को संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन अग्रेषित (सत्यापन) करें।
2. नेश्नल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन विद्यालयों/महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं के DISE CODE/ AISHE CODE वैध नही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण निरस्त कर दिये गये है। इन संस्थाओं द्वारा वैध/VALID DISE CODE/ AISHE CODE प्राप्त करने पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पुनः पंजीकरण करवाया जा सकता है।
3. पोर्टल पर सभी संस्थाओं के पंजीकृत ई–मेल आई.डी. व मोबाइल नं0 Deactivate कर दिए गए हैं, पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–
   - शिक्षण संस्था द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् होमपेज पर प्रदर्शित अनुसार संस्था registration form भरें, तत्पश्चात् ऑनलाइन फार्म सबमिट कर रेफरेन्स आई.डी. प्राप्त कर इसे नोट कर लेवें। फार्म का प्रिंट आउट संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित करवाकर संबंधित कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा करावें। जिला नोडल अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् शिक्षण संस्था को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया जावेगा।
   - संस्था के रजिस्ट्रेशन फार्म की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कार्यालय में जमा की जावेगी, व दूसरी प्रति संस्था को रिकार्ड के लिए सौंप दी जावेगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जिला अथवा नोडल अधिकारी द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
4. सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को 31 जुलाई तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिएं (यदि उन्होने ऐसा पहले नही किया है)।
5. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्रों को दिनांक 15.11.2019 तक ऑनलाईन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

नोटः– कक्षा 01 से 10 वी तक की प्री–मैट्रिक छात्रवृति का समस्त कार्य संधारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाता है।

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनाओ के ऑनलाईन आवेदन दायर करने की अंतिम तिथि 31.10.2019 है। छात्रवृति 2019–20 से संबंधित समस्त जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट **www.scholarships.gov.in** के अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.minority.rajasthan.gov.in** पर भी देख सकते है।

निदेशक
अल्पसंख्यक मामलात विभाग